159

: न मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. /रिव्यू/3/2014 रिव्यू-1546-III/14

दिनेश कुमार पुत्रश्री आनदंकुमार जैन निवासी भानगढ़ तहसील बीना जिला सागर .....प्रार्थी

बनाम

1. खेतसिंह पुत्र श्री हल्कू पटेल
2. मुन्नालाल कुर्मी पुत्र शिवचरन कुर्मी दोनों निवासी भानगढ़ तहसील बीना जिला सागर
3. मध्यप्रदेश शासन
4. अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर
5. तहसीलदार बीना जिला सागर
6. देवदीपसिंह
7. जीवनजैन, राजस्व निरीक्षक तहसील बीना
8. रामाधार चडार सरपंच ग्राम पंचायत भानगढ तहसील बीना .....प्रतिप्रार्थी
9. धनीराम पुत्र श्री दौलतराम चडार निवासी भानगढ तहसील बीना जिला सागर .....फॉर मल प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल श्री अशोक शिवहरे द्वारा प्रकरण कमांक 642/2/अपील में पारित आदेश दिनांकी 03.02.2014 के निर्णय के विरूद्ध पुर्नअवलोकन

श्रीमान जी,

प्रार्थी का पुर्नअवलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम भानगढ़ तहसील बीना में सर्वे कमांक 312/1 रकवा 8.53 हे0 भूमि थी जो कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम से बहैसियत भूमि स्वामी होकर ग्राम भानगढ में ही स्थित सर्वे कमांक 645 रकवा 0.65 हे0 भूमि एवं सर्वे कमांक 83 रकवा 0.25 हे0 भूमि धनीराम पुत्र श्री दौलतराम चडार को ग्राम चौकीदार की हैसियत से सेवाभूमि के रूप में प्राप्त हुई थी चूकि चौकीदार वाली भूमि ग्राम से लगी हुई थी इसलिये उसकी फसल का नुकसान होता था उसने उक्त भूमि को प्रार्थी की भूमि से भूमि को विनिमय करने बावत् कलेक्टर सागर के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये कलेक्टर सागर द्वारा तहसीलदार बीना से उक्त दोनों भूमियों की बाजारू कीमत तथा स्थिति की जानकारी तहसीलदार से मंगाये जाने बावत् आदेश पारित किया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत इश्तहार जारी करते हुये कोई आपत्ति न आने पर उपपंजीयक से बाजारू मूल्य की जानकारी प्राप्त

कमश....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1446–तीन/2014 जिला–सागर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–2016	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह चौहान उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक अपील 642–दो/2011 में पारित आदेश दिनांक 03–02–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया एवं न्यायालय राजस्व मंडल के आदेश का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण में आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपने आदेश दिनिांक 29.03.2011 में यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्राम पंचायत भानगढ़ के समस्त सदस्यों को ग्राम सभा आयोजित करने की विधिवत कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई तथा प्रस्ताव पर ग्राम सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। दोनों भूमियों के मूल्य के संबंध में गाइड	

गाइड लाइन के आधार पर गणना पत्रक नहीं बनाया गया । ग्राम कोटवार की शासकीय सेवाभूमि को अदला–बदली के रूप में अन्तरित नहीं किया जा सकता था। अतः आयुक्त सागर द्वारा कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक 46/अ–19/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 28.07.09 निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील पेश की गई । अधीनस्थ कलेक्टर के अभिलेख को देखने से विदित होता है कि तहसीलदार बीना द्वारा भूमि तबादला प्रकरण में प्रस्ताव भेजने हेतु पत्र दिनांक 05.02.09 को जारी किया गया, जिस पर सचिव ग्राम पंचायत, भानगढ़ के हस्ताक्षर 06.02.09 अंकित की गई है। अभिलेख पृष्ठ 16 पर उपलब्ध ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि यह दिनांक 07.02.2009 को पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में यह अंकित है कि ग्राम सभा में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः ग्राम सभी अनुमोदन करती है और इस पर संरपंच एवं सचिव के सील सहित हस्ताक्षर है। जब तहसीलदार का तबादला प्रकरण में प्रस्ताव भेजने का पत्र ग्राम सभी के सचिव को दिनांक 06.02.2009 को प्राप्त हुआ, तब आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिये बिना ही दिनांक 07.02.09 को प्रस्ताव इस आधार पर पारित करना कि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। न्यायालय राजस्व मण्डल ने इस प्रस्ताव को विधिसंगत नहीं माना है तथा आयुक्त के द्वारा पारित आदेश को उचित माना है।

5/ अनावेदक क्र0 9 धनीराम चढार ने सेवा भूमि दो टुकडों में बटी होना तथा कम उपजाऊ व पथरीली होना अपने आवेदन पत्र में अंकित किया है। पटवारी

होना अपने आवेदन पत्र में अंकित किया है। पटवारी हल्का नं0 14 ने अपने प्रतिवेदन की कण्डिका –2 में आवेदक द्वारा तबादले में छोड़ी जाने वाली भूमि तथा तबादले में चाहने वाली भूमि की किस्म समान सराह होना अंकित किया है। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 20.03.09 में पटवारी के प्रतिवेदन को अंकित करते हुये प्रतिवेदन अनुविभगीय अधिकारी को प्रेषित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 20.03.09 को मूलतः अनुशंसा सहित कलेक्टर को अग्रेषित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों, जिनका तबालना किया जाना था, के बाजारू मूल्य के संबंध में कोई जांच नहीं की गई, जबकि आयुक्त ने अपने आदेश को कण्डिका 5(ब)(4) में अंकित किया है कि अनावेदक धनीराम कोटवारी की सेवा भूमि खसरा नं0 645 एवं खसरा नं0 883 का स्थल नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें दोनों भूमियों के बीच में रोड निकालना परिलक्षित होता है । ये भूमियां गांव से लगी हुई है तथा इनके मध्य से रोड निकला हुआ है। इसके विपरीत आवेदक दिनेश कुमार जैन की खसरा नं0 312/1 की भूमि ग्राम सीमा के बाहर तथा सिंचित कृषि भूमि है। प्रकरण में उप–पंजीयत मुद्रांक से वर्ष 2008–09 की भूमियों की कीमत की गाईड–लाईन ली गई है, जिसमें रोड से लगी हुई तथा रोड से हटकर भूमियों की कीमत में काफी अन्तर है। ऐसी दशा में भूमियों के बाजारू मूल्य की जांच किये बिना उनका समान बाजार मूल्य मानकर विनिमय आदेश पारित किया गया है, जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता। न्यायालय राजस्व मण्डल ने भी संहिता की धारा 183

के प्रावधान के तहत कार्यवाही करते हुये कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण माना है । प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के अन्तरिम आदेश दिनांक 01.02.11 से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपील आवेदनपत्र ही आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसका निराकरण आयुक्त ने अभ्यावेदन मानकर किया है। इसी कारणवश न्यायालय राजस्व मण्डल ने आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2011 को यथावत रखा गया है। मेरे मतानुसार राजस्व मण्डल का आदेश विधिसंगत है। अतः आयुक्त सागर के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–02–2014 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य